


भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
टेलीफैक्स-2326696
दिनांक : 07.02.2012

पत्र सं० 2-840/यू०पी०/एस०ए०जी०/2008-10/एफ०सी.

सेवा में,
नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : राज्य सलाहाकार समूह की बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, कि राज्य सलाहाकार समूह की आगामी बैठक जो कि दिनांक 08.02.2012 को प्रातः 11:00 बजे, से मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), लखनऊ की अध्यक्षता में केन्द्रीय भवन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में आहूत की जाएगी जिसमें 06 प्रस्तावों को सम्मिलित किया गया है उसकी सूची इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक, दिनांक- 20.01.2012 को फ़ैक्स द्वारा प्रेषित कि जा चुकी है, उक्त 07 प्रस्तावों के अतिरिक्त एक अन्य प्रस्ताव क्रम संख्या- 08 में सम्मिलित किया गया है।

क्रम	प्रस्ताव का नाम	जनपद	क्षेत्रफल (हे०)	पत्रावली संख्या	टिप्पणी
1.	जनपद इलाहाबाद में 765 के०वी० अनपरा डी झूसी लाईन के निर्माण में पड़ने वाली 34.24 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 37664 वृक्ष/पादपों के पातन की अनुमति के संबंध में।	इलाहाबाद	34.24	8वीं/यू०पी०/04/128/2011/ए फसी	दिनांक-19.01.2012 द्वारा मांगी गयी सूचनाएं अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है कृपया राज्य सलाहाकार समूह की बैठक से पहले सूचनाएं उपलब्ध करायें।
2.	जनपद ललितपुर के ग्राम-खुरा के आराजी संख्या-63/2 रकबा 4.427 हे० तथा आराजी संख्या- 158/2 रकबा 2.902 हे० कुल 7.329 हे० आरक्षित वन भूमि में गेनाइट साइज्ड डाइमोन्शनल स्टोन खनन हेतु 30 वर्षों की लीज पर वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।	ललितपुर	7.329	8वीं/यू०पी०/05/117/2011/ए फसी	दिनांक-05.12.2011 द्वारा मांगी गयी सूचनाएं अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है कृपया राज्य सलाहाकार समूह की बैठक से पहले सूचनाएं उपलब्ध करायें।
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 के 6 लेनिंग चौड़ीकरण परियोजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में 2.54 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 28 वृक्षों के पातन एवं जनपद चन्दौली में 32.83 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 1831 वृक्षों के पातन कुल 35.37 हे० प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 1859 वृक्षों के पातन की अनुमति।	वाराणसी/ चन्दौली	35.37	8वीं/यू०पी०/06/95/2011/ए फसी	

4.	जनपद हरदोई में टोरेन्ट पावर लि0 द्वारा विद्युत तापीय परियोजना हेतु स्थल ग्राम रैसों व बधुआमऊ की भूमि के अधिग्रहण / पुनर्ग्रहण एवं पहुच मार्ग निर्माण से प्रभावित 11.591 हे0 आरक्षित वन भूमि 0.549 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 12.14 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक विभिन्न प्रजाति के कुल 12040 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।	हरदोई	12.14	8बी/यू0पी0/03/122/2011/ए फसी	दिनांक-08.12.2011 द्वारा मांगी गयी सूचनाएं अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है कृपया राज्य सलाहाकार समूह की बैठक से पहले सूचनाएं उपलब्ध करायें।
5.	जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत जरहा रेंज में पावर ग्रिड कार्पो0 आफ इण्डिया लि0, रिहन्दनगर बीजपुर-सोनभद्र द्वारा 765 कै0वी0 रिहन्द डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 9.90 हे0 वन भूमि 30 वर्षों हेतु लीज पर हस्तान्तरण।	सोनभद्र	9.90	8बी/यू0पी0/04/126/2011/ए फसी	दिनांक-28.12.2011 द्वारा मांगी गयी सूचनाएं अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है कृपया राज्य सलाहाकार समूह की बैठक से पहले सूचनाएं उपलब्ध करायें।
6.	जनपद बहराइच में सरयू नहर निर्माण खण्ड नानापारा किमी0 3.339 से 4.200 तक के मध्य पड़ने वाली 16.311 हे0 आरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।	बहराइच	16.311	8बी/यू0पी0/02/132/2011/ए फसी	दिनांक-03.01.2012 द्वारा मांगी गयी सूचनाएं अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है कृपया राज्य सलाहाकार समूह की बैठक से पहले सूचनाएं उपलब्ध करायें।
7.	जनपद बरेली में उपशा द्वारा किये जा रहे बरेली अल्मोड़ा मार्ग (एन0एच0-37) किमी0 3.50 से 58.00 तक चौड़ीकरण/उच्च्यकरण हेतु 36.72 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5448 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।	बरेली	36.72	8बी/यू0पी0/06/2/2012/एफ सी	
	गाजियाबाद में उपशा द्वारा किये जा रहे दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री मार्ग एन0एच0-57 किमी0 10.91 से 25.0 तक चौड़ीकरण/उच्च्यकरण हेतु 7.6894 हे0 संरक्षित वनभूमि।	गाजियाबाद		8बी/यू0पी0/06/11/2012/ए फसी	

आपसे अनुरोध है, कि सम्बन्धित प्रस्तावों के प्रयोक्ता अभिकरण सदस्य/अधिकारी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी आवश्यक अभि बैठक में उपस्थित हों। विगत बैठकों में यह पाया गया है कि राज्य सलाहाकार समूह के बैठक के लिए नामांकित अधिकारी बैठक में रहते हैं, जबकि मुख्य सचिव महोदय एस0 ए0 जी0 की बैठक हर माह आयोजित करने के लिए अनुरोध किया करते हैं अतः आपसे उक्त के लिए नामांकित अधिकारियों कि उपस्थिति सुनिश्चित करें अन्यथा प्रस्तावित बैठक निरस्त भी की जा सकती है।

मे (क)